

हृदय रोग के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को प्रतिमाह छह लाख रुपए मानदेय, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

चर्चा में क्यों?

7 अगस्त, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में हृदय रोग विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिये केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत संविदा पर कॉन्डिशनल सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को उच्च पैकेज (प्रतिमाह छह लाख रुपए मानदेय) देने की मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बंदि

- पर्वतीय जिलों में स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिये प्रदेश सरकार ने 'यू कोट वी पे' फार्मूले को लागू किया है। इसके तहत विभिन्न रोग के स्पेशलिस्ट को अधिकतम चार लाख रुपए तक प्रतिमाह मानदेय निर्धारित किया गया है।
- यू कोट वी पे फार्मूले के तहत स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की संविदा पर भरती की जा रही है। तीसरे चरण के लिये आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 22 अगस्त को साक्षात्कार होंगे। फार्मूले के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात होने वाले डॉक्टरों को उच्च मानदेय दिया जाएगा।
- स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि राज्य के पौड़ी गढ़वाल स्थिति श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब स्थापित की गई है, जहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट कॉन्डिशनल सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को तैनात की जाएगी।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/honorarium-of-six-lakh-rupees-per-month-to-super-specialist-doctors-of-heart-disease>